अध्यादेश संख्या 12

पुस्तकालय अध्यक्ष की सेवा परिलब्धियाँ, निबंधन एवं शर्तें

1. पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर सीधी भर्ती के आधार पर होगी। यह पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा। इसकी नियुक्ति को कार्यकारी परिषद् द्वारा समान अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा संस्तुत और समय–समय पर कार्य परिषद् द्वारा यथा अंगीकृत वेतनमान प्रदान किया जाएगा।
2. पुस्तकालय अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा यथा संस्तुत और समय–समय पर कार्य परिषद् द्वारा यथा अंगीकृत वेतनमान और भत्तें प्रदान किये जाऐंगे।
3. पुस्तकालय अध्यक्ष की सेवा के निबंधन और शर्तें वही होंगी जो विश्वविद्यालय के गैर–अवकाशी कर्मियों के लिए समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित किया जाएगा।
4. यदि पुस्तकालय अध्यक्ष सरकार अथवा किसी अन्य संगठन/संस्थान से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है, तो उसकी सेवा के निबंधन और शर्तें भारत सरकार की प्रतिनियुक्ति नियमों से शासित होंगे। आगे यह कि कुलपति की संस्तुति पर कार्य परिषद् द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त वित्त अधिकारी को निर्धारित अवधि से पहले प्रत्यावर्तन किया जा सकता है।
5. पुस्तकालय अध्यक्ष को असज्जित आवास की पात्रता होगी जिसके लिए यथाप्रयोज्य मकान की श्रेणी के लिए निर्धारित लाइसेंस फी (शुल्क) का भुगतान करना होगा।
6. पुस्तकालय अध्यक्ष की सेवा के निबंधन और शर्तें वही होंगी जो विश्वविद्यालय के गैर–अवकाशी कर्मियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित की जाएँगी।
7. पुस्तकालय अध्यक्ष संबद्ध अध्यादेशों द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों का व्यवस्थापन और अधीक्षण करेगा।
8. अधिनियम, परिनियम और अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन परीक्षा नियंत्रक उन कर्तव्यों और कार्यों का निष्पादन करेगा जो कार्य परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय–समय पर पुस्तकालय अध्यक्ष को सौंपे जाएँगे।

ORDINANCE NO: 12

EMOLUMENTS, TERMS & CONDITIONS OF SERVICE OF THE LIBRARIAN

1. The Librarian shall be a whole-time salaried officer appointed by the Executive Council on the basis of direct recruitment on the recommendations of a Selection Committee constituted for the purpose and shall be placed in the scale of pay as recommended by the University Grants Commission and adopted by the Executive Council from time to time.
2. Librarian shall be entitled to receive salary and allowances as prescribed by the Central Government and as adopted by the Executive Council from time to time.
3. The terms and conditions of service of the Librarian shall be such, as prescribed for other non-vacation employees of the University.
4. In case the Librarian is appointed on deputation from the Government or any other Organisation / Institution, the terms and conditions of his/her service shall be governed by the Deputation Rules of the University. Provided that the Librarian appointed on deputation may be repatriate earlier than the stipulated period by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor.
5. The Librarian shall be entitled to a unfurnished residential accommodation for which he/she shall pay the prescribed license fees as applicable to the category of the house.

6. The terms and conditions of service of the Librarian shall be such as prescribed for other non-vacation employees of the University.

7. Librarian shall manage and superintend the Libraries of the University in the manner prescribed by the relevant Ordinances.

8. Subject to the provision of the Act, Statutes and Ordinances, the Librarian shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned to him / her from time to time by the Executive Council or by the Vice-Chancellor.